रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 20, 2013/ज्येष्ठ 30, 1935
No. 299] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 20, 2013/JYAISTHA 30, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 8 मई, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) (संशोधन) विनियमावली, 2013

सा.का.नि. 385(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 के खंड (बी) और धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, समय-समय पर यथा संशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 10/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) (संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलायेंगे।

(ii) ये विनियम 2 अप्रैल, 2012 से लागू होंगे ।@

2.विनियमों में संशोधन:

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 में, विनियम 7 में, उप-विनियम (8) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

''(9) भारतीय पार्टी को समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश करने के प्रयोजनार्थ विदेशी मुद्रा खाता खोलने/धारण करने/रखने हेतु अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत दी जाएगी:

(i) भारतीय पार्टी, समय-समय पर यथा संशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (7 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा.120/आरबी-2004 के जरिये अधिसूचित) के विनियम 6 अथवा विनियम 7, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश करने के लिए पात्र हो।

(ii) मेजबान देश के विनियम यह विनिर्दिष्ट करते हों कि उस देश में निवेश नामित खाते के माध्यम से करना अपेक्षित है।

(iii) मेजबान देश के विनियमों के अनुसार विदेशी मुद्रा खाता खोला जाएगा, धारण किया जाएगा और बनाए रखा जाएगा।

(iv) भारतीय पार्टी द्वारा विदेशी मुद्रा खाते में विप्रेषित राशि केवल विदेश स्थित संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश करने के प्रयोजन के लिए ही उपयोग में लायी जाएगी।

(v) उल्लिखित सहायक कंपनी से लाभांश और/या अन्य पात्रता के रूप में उक्त खाते में प्राप्त राशि ऐसे खाते में जमा होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भारत को प्रत्यावर्तित की जाएगी।

(vi) विदेशी मुद्रा खाते से किए गए नामे और जमा के ब्योरे भारतीय पार्टी अपने सांविधिक लेखापरीक्षक के इस आशय के प्रमाण-पत्र कि वे मेजबान देश के कानूनों और मौजूदा फेमा विनियमों/लागू उपबंधों के अनुसार रखे गए हैं, के साथ वार्षिक आधार पर अपने नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से प्रस्तुत करें।

(vii) इस प्रकार खोले गए विदेशी मुद्रा खाते संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में विनिवेश होते ही या समाप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर बंद कर दिए जाएंगे ।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजन के लिए, 'भारतीय पार्टी' का अर्थ वही होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 में अभिप्रेत है ।''

[सं. फेमा. 275/2013-आरबी]
रश्मि फौजदार, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी:

1. @यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. मूल विनियमावली 5 मई, 2000 को सं. सा.का.नि. 393 (अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग ।।, खंड 3, उप- खंड (i) में प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:

(ए) 25 अगस्त, 2000 के सा.का.नि. सं. 675(अ),

(बी) 12 फरवरी, 2001 के सा.का.नि. सं. 89 (अ),

(सी) 19 फरवरी, 2001 के सा.का.नि. सं. 103(अ),

(डी) 21 मार्च, 2001 के सा.का.नि. सं. 200(अ),

(ई) 2 जनवरी, 2002 के सा.का.नि. सं. 5(अ),

(एफ) 9 अप्रैल, 2002 के सा.का.नि. सं. 261(अ),

(जी) 2 जुलाई, 2002 के सा.का.नि. सं. 465(अ),

(एच) 8 जुलाई, 2002 के सा.का.नि. सं. 474(अ),

(आई) 8 नवंबर, 2002 के सा.का.नि. सं. 755(अ),

(जे) 8 नवंबर, 2002 के सा.का.नि. सं. 756(अ),

(के) 18 मार्च, 2003 के सा.का.नि. सं. 224(अ),

(एल) 14 मई, 2003 के सा.का.नि. सं. 398(अ),

(एम) 3 जून, 2003 के सा.का.नि. सं. 452(अ),

(एन) 4 जून, 2003 के सा.का.नि. सं. 453(अ),

(ओ) 7 जनवरी, 2004 के सा.का.नि. 11(अ),

(पी) 7 जनवरी, 2004 के सा.का.नि. सं. 13(अ),

(क्यू) 23 मार्च, 2004 के सा.का.नि. सं. 209(अ),

(आर) 30 जून, 2007 के सा.का.नि. सं. 455(अ),

(एस) 19 दिसंबर, 2007 के सा.का.नि. सं. 778(अ),

(टी) 15 फरवरी, 2008 के सा.का.नि. सं. 92(अ),

(यू) 23 नवंबर, 2009 के सा.का.नि. सं. 838(अ),

(वी) 21 अप्रैल, 2010 के सा.का.नि. सं. 340(अ),

(डब्ल्यू) 9 मार्च, 2011 के सा.का.नि. सं. 491(अ) तथा

(एक्स) 21 दिसंबर, 2012 के सा.का.नि. सं. 915(अ)।

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th May, 2013

Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) (Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 385(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 9 and clause (e) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), Reserve Bank of India makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA10/2000-RB dated May 03, 2000), as amended from time to time, namely:

1. Short Title and Commencement:

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (Amendment) Regulations, 2013.

(ii) They shall come into force from April 02, 2012. @

2. Amendment of the Regulations:

In the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2000, in Regulation 7, after sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be added, namely:

"(9) An Indian party may open, hold and maintain Foreign Currency Account (FCA) abroad for the purpose of overseas direct investments subject to the following terms and conditions:

(i) The Indian party is eligible for overseas direct investments in terms of Regulation 6 or Regulation 7, as the case may be, of Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004 (notified in Notification No. FEMA 120/RB-2004 dated July 7, 2004) as amended from time to time.

(ii) The host country regulations stipulate that the investment into the country is required to be routed through a designated account.

(iii) FCA shall be opened, held and maintained as per the regulation of the host country.

(iv) The remittances sent to the FCA by the Indian party should be utilized only for making overseas direct investment into the JV / WOS abroad.

(v) Any amount received in the account by way of dividend and/or other entitlements from the subsidiary shall be repatriated to India within 30 days from the date of credit.

(vi) The Indian party should submit the details of debits and credits in the FCA on yearly basis to the designated AD bank with a certificate from the Statutory Auditors of the Indian party certifying that the FCA was maintained as per the host country laws and the extant FEMA regulations/ provisions as applicable.

(vii) The FCA so opened shall be closed immediately or within 30 days from the date of disinvestment from JV / WOS or cessation thereof.

Explanation: For the purpose of this regulation, the expression 'Indian party' shall have the same meaning as assigned to it in Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) Regulations, 2004."

[No. FEMA 275/2013-RB]

RASHMI FAUZDAR, Chief General Manager

Foot Note:

(i) @It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these regulations.

(ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 393(E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide:

(a) G.S.R. No. 675(E) dated August 25, 2000,

(b) G.S.R. No. 89(E) dated February 12, 2001,

(c) G.S.R. No. 103(E) dated February 19, 2001,

(d) G.S.R. No. 200(E) dated March 21, 2001,

(e) G.S.R. No. 5(E) dated January 2, 2002,

(f) G.S.R. No. 261(E) dated April 9, 2002,

(g) G.S.R. No. 465(E) dated July 2, 2002,

(h) G.S.R. No. 474(E) dated July 8, 2002,

(i) G.S.R. No. 755(E) dated November 8, 2002,

(j) G.S.R. No. 756(E) dated November 8, 2002,

(k) G.S.R. No. 224(E) dated March 18, 2003,

(l) G.S.R. No. 398(E) dated May 14, 2003,

(m) G.S.R. No. 452(E) dated June 3, 2003,

(n) G.S.R. No. 453(E) dated June 4, 2003,

(o) G.S.R.No.11(E) dated January 7, 2004,

(p) G.S.R.No. 13(E) dated January 7, 2004

(q) G.S.R.No. 209(E) dated March 23, 2004.

(r) G.S.R. No. 455(E) dated June 30, 2007.

(s) G.S.R. No. 778(E) dated December 19, 2007,

(t) G.S.R. No. 92(E) dated February, 15,2008.

(u) G.S.R. No.838(E) dated November, 23, 2009,

(v) G.S.R. No.340(E) dated April 21, 2010,

(vi) G.S.R. No.491(E) dated March 09, 2011,

(vii) G.S.R.No.915(E) dated December 21, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.